न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2011

1 राजकुमार आयु 62 साल पुत्र स्व नागरमल
2 मु. सत्यवती देवी आयु 82 साल स्त्री स्व. नागरमल
3 सत्येन्द्र आयु 43 साल पुत्र स्व भवानीशंकर
4 रामधन आयु 34 साल पुत्र स्व भवानीशंकर
5 प्रदीप आयु 27 साल पुत्र स्व. भवानीशंकर
6 संदीप आयु 22 साल पुत्र स्व. भवानीशंकर
जाति समस्त ब्राह्मण निवासी सिंघाना व निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रतनलाल पुत्र स्व. बुद्धराम
2 सुशीला पत्नी विजय
3 पुनम पुत्री विजय
4 विकास पुत्र विजय
5 मोतीराम पुत्र बुद्धराम
6 सुधाकर पुत्र बुद्धराम
जाति समस्त ब्राह्मण निवासीगण सिंघाना व ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
7 पदमशंकर पुत्र महावीर प्रसाद सिंघानियां
8 जयशंकर पुत्र महावीर प्रसाद सिंघानियां जाति महाजन निवासी सेक्टर नम्बर 8 मकान नम्बर 73 विद्याधर नगर जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

9 हरीशंकर पुत्र महावीर प्रसाद सिंघानियां
10 भानूप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद सिंघानियां जाति महाजन निवासी सेक्टर नम्बर 8 मकान नंबर 73 विद्याधर नगर जयपुर।
11 श्रवणी देवी शिक्षा समिति गोकुलपुरा सीकर हाल सिंघाना जिला झुन्झुनू जरिये अध्यक्ष रेखा देवी स्त्री परमानन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2011 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मु. नम्बर 13/2010 उनवानी पुष्करलाल वगै बनाम पदमशंकर वगे. दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 30.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2010 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 व स्व. पुष्करलाल ने विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 10 के विरूद्व एक दावा जमीन हाल खसरा नम्बर 399 व 400 सरहद मौजा ढाणी हुक्मा के बाबत प्रस्तुत किया। उक्त दावा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2011 को निर्णित कर जमीन हाल खसरा नम्बर 399 रकबा 0.21 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 400/2 रकबा 2.65 हैक्टेयर (उत्तरी भाग) सरहद मौजा ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना के खातेदार काश्तकार दावा में वादीगण को घोषित कर डिक्री किया। विचारण न्यायालय पारित उक्त निर्णय व डिक्री जैर बहस दिनांक 02.05.2011 से अपीलान्टस प्रभावित है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रामरिछपाल नाम व्यक्ति पैदा हुआ। उक्त रामरिछपाल व उसकी स्त्री का देहानत हो चूका है। रामरिछपाल का देहान्त सन 1975 में हुआ। रामरिछपाल के चार पुत्र क्रमशः नागरमल, बुद्धराम, पुष्करलाल व भवानीशंकर पैदा हुये। रामरिछपाल के उक्त चारों पुत्रों को देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस संख्या 1 व 2 नागरमल के पुत्र व पत्नी होने से वारिस है। अपीलान्टस संख्या 3 से 6 स्व. भवानीशंकर के पुत्र होने से वारिस है। भवानी शंकर की स्त्री का भी देहान्त हो चुका है। बुद्धराम के चार पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5 व 6 तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विजय पैदा हुये। उक्त विजय का देहान्त दावा के विचाराधीन रहते हुये सन 2006 में हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 विजय के वारिस पत्नी, पुत्री व पुत्र होने से है। पुष्करलाल को देहान्त दिसम्बर सन 2007 में हुआ। पुष्करलाल नाऔलाद फौत हुआ। पुष्करलाल ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया और ना ही अपनी सहमति की कोई वसीयत की। पुष्करलाल की मृत्यु से पूर्व उसके तीनों भाईयों को देहान्त हो चूका था। इस प्रकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुष्करलाल के वारिस अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 हुये। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने पुष्करलाल के देहान्त होने पर अपीलान्टस को पक्षकार नहीं बनाया जबकि कानून से अपीलान्टस को पुष्करलाल की जगह वारिस बनाया जाना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट रतनलाल ने अपनी सशपथ साक्ष्य में इस बाबत को स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पहले रामरिछपाल को मिली और रामरिछपाल ने जमीन की काश्त किया और उस पर आबाद हुआ। उक्त रेस्पोडेन्ट रतनलाल ने अपने सशपथ साक्ष्य में इस बात को भी माना है कि पुष्करलाल व रामरिछपाल के खिलाफ विवादित जमीन के बाबत फौजदारी व राजस्व मुकदमें भी चले। दावा में विपरित कब्जे का कथन कर खातेदारी हकुको की घोषणा चाही है पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य से यह साबित है कि विपरित कब्जा रामरिछपाल व उसके पुत्रों का रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपीलान्टस को दावा में पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्टस रामरिछपाल व पुष्करलाल के वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। ऊपर वर्णित अनुसार जमीन जैर बहस में अपीलान्टस का हक अधिकार है। आवेदकगण का विवादित आराजी में हक अधिकार व कब्जा काश्त है। आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है। इस कारण आवेदक को निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कंडोन किया जाकर अपील स्वीकार की जावें प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पुष्करलाल, रतनलाल, विजय, मोतीराम, सुधाकर की ओर से पदमशंकर, जयशंकर, हरिशंकर, भानूप्रकाश के विरूद्ध घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का दावा प्रस्तुत किया था। अपीलांट वादी पुष्करलाल के वारिसान बताकर यह अपील लेकर आये है। अपील की पत्रावली में अपीलांट ने रामरिछपाल अथवा पुष्करलाल की विरासत के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो ऐसा भी कोई साक्ष्य अपील की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं है। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पुष्करलाल, रतनलाल, विजय, मोतीराम, सुधाकर की ओर से पदमशंकर, जयशंकर, हरिशंकर, भानूप्रकाश के विरूद्ध घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का दावा प्रस्तुत किया था। अपीलांट वादी पुष्करलाल के वारिसान बताकर यह अपील लेकर आये है। अपील की पत्रावली में अपीलांट ने रामरिछपाल अथवा पुष्करलाल की विरासत के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो ऐसा भी कोई साक्ष्य अपील की पत्रावली में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर